



असम NRC पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, CAG

मेन्स के लिये:

NRC का महत्त्व और चुनौतियाँ, पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में NRC की स्थिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के [नियंत्रक और महालेखा परीक्षक \(CAG\)](#) ने असम में [राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर \(NRC\)](#) में बड़े पैमाने पर वसिंगतियों का पता लगाया है।

CAG की चिंताएँ:

- नधियों के उपयोग में अनियमितताएँ:
 - फरवरी 2015 तक पूरा करने की समयसीमा के साथ NRC को अद्यतन करने की प्रक्रिया दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी और परियोजना लागत 288.18 करोड़ रुपए आँकी गई थी।
 - हालाँकि इसे पूरा करने के लिये अतिरिक्त समय और नवीन सॉफ्टवेयर में परिवर्तन के कारण मार्च 2022 तक लागत में पाँच गुना वृद्धि हुई थी।
 - जहाँ तक अनियमितताओं की बात है, CAG ने पाया कि आउटसोर्स करमचारियों को दिया जाने वाला वेतन समन्वय समिति द्वारा स्वीकृत वेतन से 45.59%-64.27% तक कम था।
- सुरक्षा और वशिवसनीय सॉफ्टवेयर का अभाव:
 - NRC अद्यतन प्रक्रिया में अत्यधिक सुरक्षा और वशिवसनीय सॉफ्टवेयर की आवश्यकता थी, हालाँकि इस संबंध में उचित योजना की कमी देखी गई, जिसमें 215 सॉफ्टवेयर को बेतरतीब ढंग से कोर सॉफ्टवेयर में जोड़ा गया था।

CAG की सफारिश:

- देश के शीर्ष ऑडिटर ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों का उल्लंघन करने और डेटा ऑपरेटरों को न्यूनतम मज़दूरी से कम भुगतान करने के लिये विपरो लमिडिड के खिलाफ दंडात्मक उपायों की मांग की।
- रिपोर्ट में 'अधिक, अनियमित और अस्वीकार्य भुगतान' के लिये राष्ट्रीय पंजीकरण के राज्य समन्वयक (State Coordinator of National Registration- SCNR) के खिलाफ कार्रवाई की सफारिश की गई है।
- CAG ने 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं करने' के लिये प्रमुख नियोक्ता के रूप में SCNR की जवाबदेही तय करने की भी सफारिश की।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC):

- NRC पहली बार वर्ष 1951 में असम में भारत में जन्मे लोगों और तत्कालीन पूर्वी पाकस्तान, अब बांग्लादेश के प्रवासियों की पहचान हेतु बनाया गया था।
- वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1951 के रजिस्टर को अपडेट करने के लिये असम में इसे शुरू करने हेतु केंद्र और राज्य को निर्देश जारी किये।
- यह आदेश असम पब्लिक वर्क्स नाम के एक NGO द्वारा दायर याचिका पर आधारित था।
- पहला ड्राफ्ट वर्ष 2018 में जारी किया गया था।
- वर्ष 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में वे लोग शामिल थे जो 25 मार्च, 1971 (अगस्त 1985 के [असम समझौते](#) के अनुसार वंशियों के नरिवासन

- की कट-ऑफ तारीख) से पहले असम के नवासी या उनके वंशज अपनी **भारतीय नागरिकता स्थापति कर सकते थे**।
- 3.3 करोड़ आवेदकों में से 19.06 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबति करने के लिये पर्याप्त दस्तावेजों की कमी के कारण बाहर रखा गया था। कई दलों ने अंतिम सूची को 'तुरुटपूरण' कहकर खारज़ि कर दिया।
 - तीन साल से प्रकरिया रुकी हुई है क्योंकि **भारत के महारजसि्ट्रार (Registrar General of India- RGI)** ने अभी तक अंतिम सूची को अधसूचि नहीं कथि है।

UPSC सवलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. लोक नधि के फलोत्पादक और आशयति प्रयोग को सुरकषति करने के साथ-साथ भारत में नयित्त्रक-महालेखा परीकषक (CAG) के कारयालय का महत्त्व कथि है? (2012)

1. CAG संसद की ओर से राजकोष पर नयित्त्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रीय आपात/वतितीय आपात घोषति कथि जाता है।
2. CAG की मंत्रालयों द्वारा कारयान्वति परयोजनाओं या कारयक्रमों पर जारी कथि गए प्रतविदनों पर लेखा समति विचार-वमिर्श करती है।
3. CAG के प्रतविदनों से मलि जानकारयों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसयिँ उन लोगों के वरिद्ध आरोप दाखलि कर सकती हैं जिन्होंने लोक नधि प्रबंधन में कानून का उल्लघन कथि हो।
4. CAG को ऐसी मशिरति न्यायकि शकतयिँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनयिँ के लेखा-परीकषा और लेखा जाँचते समय वह कानून का उल्लघन करने वालों पर अभयिग लगा सके।

उपयुक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1, 3 और 4
- (b) केवल 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. संघ और राज्यों की लेखाओं के संबध में नयित्त्रक और महालेखापरीकषक की शकतयिँ का प्रयोग भारतीय संवधान के अनुच्छेद 149 से वयुत्पन्न है। चर्चा कीजयिँ कथि सरकार की नीतिकायान्वयन की लेखापरीकषा करना अपने स्वयं (नयित्त्रक और महालेखापरीकषक) की अधिकारति का अतकिरण करना होगा अथवा नहीं। (2016)

स्रोत: द हट्टि